




माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:- लेखा / 2020 / SPL-15

दिनांक:- 06-08-2020

-: कार्यालय आदेश :-

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 07.07.2020 के अनुपालना में सूचित किया जाता है कि बोर्ड परीक्षा से संबंधित समस्त केन्द्रों के वीक्षण एवं फुटकर व्यय बिल/बोर्ड परीक्षा आयोजन से संबंधित सभी प्रकार के पारिश्रमिक बिल भुगतान हेतु बोर्ड परीक्षा समाप्त होने की तिथि से छः माह की अवधि में प्रेषण/बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य है। छः माह पश्चात् प्राप्त बिलों का बोर्ड द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित केन्द्राधीक्षक/कार्मिक की होगी।


सचिव

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
2. निदेशक गोपनीय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि परीक्षा संचालन निर्देशिका (गोपनीय प्रपत्र 21) के क्रम संख्या 27 (16) में उक्तानुसार संशोधन करावें।
3. समस्त अनुभाग अधिकारी/अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर।
4. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (बोर्ड वेबसाईट पर अद्यतन हेतु)
5. रक्षित पत्रावली।


वित्तीय सलाहकार